

डी0एस0 गर्बाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 01 सितम्बर, 2016

विषय- लोक निर्माण विभाग के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के संरचनात्मक ढांचे का संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पदों का वर्गीकरण/पुनर्गठन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या-1842/III(1)/15-190 (PWD)/01टी0सी0-4, दिनांक 22.12.2015 एवं उक्त के उपरान्त विभिन्न शासनादेशों के द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के संरचनात्मक ढांचे का वर्गीकरण/पुनर्गठन करते हुये संशोधित किया गया है। कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-90/XXX/(2)/2016-30 (51)/2015 दिनांक 26.07.2016 के द्वारा राज्याधीन सेवाओं में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत पूर्व में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न में संशोधन करते हुये विभागीय संरचनाओं में तदनुसार पदों का वर्गीकरण किये जाने की अपेक्षा की गई है।

2. उक्त के क्रम में प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 के पत्र संख्या-1491/48व्यख-सा0/15, दिनांक 09.08.2016 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा पूर्व में निर्गत सभी शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 26.07.2016 के प्राविधान के अनुसार लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के वर्तमान में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न में संशोधन करते हुए मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत सृजित संवर्गीय पदों के सम्बन्ध में संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पदों का वर्गीकरण/पुनर्गठन निम्न तालिका में अंकित विवरणानुसार किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

प्रमुख अभियन्ता संवर्ग-

क्र.सं.	पदनाम	वर्तमान में स्वीकृत पद	संशोधित प्रतिशत	संशोधित प्रतिशत के अनुसार वर्गीकृत/ पुनर्गठित पद
1	2	3	4	5
1	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	03	06%	10
2	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	16	08%	13
3	प्रशासनिक अधिकारी	16	08%	13
4.	प्रधान सहायक	29	18%	29
5.	वरिष्ठ सहायक	45	28%	45
6.	कनिष्ठ सहायक	53	32%	52
	योग-	162	100%	162

94

ET(HA)/CAO
प्रेषक,
प्रमुख अभियन्ता
लो. नि. वि.

746
CAO
319

10/09/16
10/09/16

03/09/16
CAO

10/09/16
CAO

10/09/16
CAO

10/09/16
CAO

वृत्तीय संवर्ग-


क्र.सं.	पदनाम	वर्तमान में स्वीकृत पद	संशोधित प्रतिशत	संशोधित प्रतिशत के अनुसार वर्गीकृत/ पुर्नगठित पद
1	2	3	4	5
1	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	03	06%	10
2	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	17	08%	14
3	प्रशासनिक अधिकारी	17	08%	14
4.	प्रधान सहायक	30	18%	30
5.	वरिष्ठ सहायक	47	28%	47
6.	कनिष्ठ सहायक	55	32%	54
	योग-	169	100%	169

खण्डीय संवर्ग-

क्र.सं.	पदनाम	वर्तमान में स्वीकृत पद	संशोधित प्रतिशत	संशोधित प्रतिशत के अनुसार वर्गीकृत/ पुर्नगठित पद
1	2	3	4	5
1	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	20	06%	61
2	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	102	08%	82
3	प्रशासनिक अधिकारी	102	08%	82
4.	प्रधान सहायक	184	18%	184
5.	वरिष्ठ सहायक	286	28%	285
6.	कनिष्ठ सहायक	326	32%	326
	योग-	1020	100%	1020

3. शासनादेश संख्या-1842/III(1)/15-190(PWD)/2001 टी0सी0-4, दिनांक 22.12.2015 एवं उक्त के उपरान्त विभिन्न शासनादेशों के द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों को अतिक्रमित करते हुये उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।


भवदीय,


(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव

संख्या- 1333/III(1)/15-190(PWD)/01 टी0सी0-IV, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. वित्त (वे0आ0सा0नि0) अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।


(अरविन्द सिंह पांगती)
उप सचिव